न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी पकरण कमांक 1252–दो/06 विरूद्ध आदेश, दिनाक 15–5–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 147/अपील/05–06.

कल्याण सिंह पुत्र जनवेद सिंह राजपूत आयु 41 वर्ष
व्यवसाय कृषि पटेल निवासी ग्राम हेतमपुरा
तहसील सेवड़ा जिला दतिया म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

भारत सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी हेतमपुरा
तहसील सेवड़ा जिला दतिया म0 प्र0

.....अनावेदक

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक
:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9-12-2015 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 1252–दो/06 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 147/अपील/05–06 में पारित आदेश दिनांक 15–5–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । प्रकरण ग्राम हेतमपुरा की पटेल नियुक्ति से संबंधित है, जिसके लिये दिनांक 3–5–94 को तहसीलदार ने ग्रामवासियों से मतदान कराया जिसमें निगराकार कल्याण सिंह को 196 एवं गैर निगराकार भारत सिंह को 134 मत मिले, जिस

आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सेवढा ने दिनांक 31–5–94 को कल्याण सिंह को पटेल नियुक्त किया । तदुपरान्त दिनांक 5–6–04 को गैर निगराकार भारत सिंह ने तहसीलदार को ग्रामीणों से मिलकर कल्याण सिंह की कार्यप्रणाली के विरूद्ध एक शिकायत की, जिस पर पटवारी से उसी दिनांक 5–6–04 को प्रतिवेदन लेकर तहसीलदार ने अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्ताव भेजा । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रकरण कमांक 91/बी–121/04–05 में आदेश दिनांक 24–3–05 से शिकायत खारिज कर दी, जिसकी अपील कलेक्टर दतिया के समक्ष हुई जिन्होंने अपने प्रकरण कमांक 52/अपील/04–05 के आदेश दिनांक 31–10–05 से प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया । इसके विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर के समक्ष अपील हुई, जहां प्रकरण कमांक 147/05–06/अपील के आदेश दिनांक 15–5–06 से कलेक्टर का आदेश यथावत रखा गया । इसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह निगरानी दायर हुई ।

3/ प्रकरण में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने लिखित तर्क प्रस्तुत करना चाहा जिसके लिये उन्हें अवसर दिया गया । आवेदक के लिखित तर्क में वही बिन्दु है जो निगरानी मेमों में हैं, जिन्हें दोहराया नहीं जा रहा किन्तु विचार में लिया जा रहा है । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क नहीं दिए गए है, अतः रिकार्ड के आधार पर उनका पक्ष देखा जा रहा है । मैने प्रकरण के अभिलेखों का अध्ययन किया । तर्कों एवं अभिलेखों के प्रकाश में प्रकरण में निम्न मुख्य बिन्दु समक्ष आते हैं :–

(1) तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर अग्र एवं पृष्ठ भाग में गैर निगराकार भारत सिंह के अतिरिक्त 44 अन्य व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर या अगूँठा निशान हैं ।

(2) पटवारी प्रतिवेदन में यह स्पष्ट लिखा है निगराकार कल्याण सिंह ने वर्ष 01–02, 02–03 की वसूली में सहयोग नहीं किया तथा अन्य काम से फुरसत नहीं मिलने का आधार लेते हुए वसूली को झंझट बोलते हुए उसमें रूचि नहीं दिखाई, जबकि म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 224 के अनुसार पटेल को वसूली करनी है ।

(3) यह सही है कि पटवारी का प्रतिवेदन उसी दिनांक 5–6–04 का है जिस दिनांक को तहसीलदार ने उन्हें शिकायत पत्र प्रतिवेदन हेतु मार्क किया था, किन्तु केवल इस आधार पर पटवारी के प्रतिवेदन को संदिग्ध या गलत मानना प्रथम दृष्टया सही नहीं होगा क्योंकि पटवारी को पटेल की कार्यप्रणाली के संबंध में पूर्व से अनुभव था, शिकायत में अनेक ग्रामवासियों के साथ ग्राम के पंच के भी हस्ताक्षर हैं, तथा वसूली पटेल का महत्वपूर्ण कार्य है जिसके संबंध में पटेल की कार्यप्रणाली आदि से पटवारी को संतुष्ट रहना चाहिये । दूसरी ओर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि पटवारी का प्रतिवेदन अत्यन्त संक्षिप्त है, तथा वह उसी दिनांक 5–6–04 को बगैर किसी मौका जांच के भेज दिया गया है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी ने भारत सिंह आदि की शिकायत को सारहीन मानने का मुख्य आधार यह लिया है कि भारत सिंह पटेली चुनाव में निगराकार कल्याण सिंह से हार गए थे । साथ ही उन्होंने (अनुविभागीय अधिकारी ने) अपना आदेश पारित करने के पूर्व कल्याण सिंह के समर्थन में लगभग 10 शपथ पत्रों को संज्ञान में लेकर अपने निष्कर्ष का आधार बनाया है । उन्होंने तहसीलदार की रिपोर्ट एवं पटवारी प्रतिवेदन या कल्याण सिंह और भारत सिंह के पक्ष समर्थन संबंधी साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण आदि अपने समक्ष नहीं कराये ।

(5) अपर आयुक्त द्वारा उनके आदेश में यह लिखा जाना सही है कि अनुविभागीय अधिकारी ने कल्याण सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी नहीं किया, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय की आर्डरशीट में दिनांक 17–6–04 को कल्याण सिंह से स्पष्टीकरण लिया जावे, ऐसा उल्लेख है, जिसके उपरान्त कल्याण सिंह ने अपना जवाब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत भी किया है ।

(6) अपर आयुक्त के प्रकरण में कल्याण सिंह के विरूद्ध एवं भारत सिंह के समर्थन में लगभग 35 शपथ पत्र संलग्न हैं किन्तु ना तो कलेक्टर ने और ना ही अपर आयुक्त ने अपने न्यायालयीन अपील प्रकरणों में कोई साक्ष्य, प्रति परीक्षण आदि कराए हैं ।

4/ उपरोक्त बिन्दुओं एवं विवेचना के प्रकाश में मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि मूल शिकायत पर विधि अनुसार पूर्ण गंभीरता से कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नहीं की गई है जिस कारण वश मैं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करता हूॅ, एवं चूॅकि कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है (जैसा कि वे उनके आदेश दिनांक 31–10–05 को कर सकते थे चूंकि तब अपील प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जा सकते थे) जिसे अपर आयुक्त ने स्थिर रखा है, अतः कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश स्थिर रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी, सेवढ़ा को यह निर्देश देता हूॅ कि विषयांकित शिकायत पर नए सिरे से जॉच कर निष्कर्ष निकालकर बोलता हुआ आदेश पारित करें । ऐसा करते समय अनुविभागीय अधिकारी इस आदेश के पैरा 3 में लिखे सभी बिन्दुओं को विचार में लेकर उन पर कार्यवाही करें और निष्कर्ष निकालें । अनुविभागीय अधिकारी अपना आदेश राजस्व मण्डल के इस आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम 3 माह के भीतर अनिवार्यतः पारित करें ।

प्रकरण समाप्त ।
पक्षकार एवं अनुविभागीय अधिकारी सूचित हों
रिकार्ड अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाए ।
दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर